

STARTING YOUR OWN TELEVISION CHANNEL

Part - 5

Ownership of any media has its own glamour and ideas of 'power' associated with it. But is it the same as or as easy as starting a new business? Sudeep Malhotra, a veteran of the satellite & cable television industry with over 25 years of industry experience under his belt, demystifies the process and takes a look at how to go about doing this!

Last month we looked at the important aspects of some of the choices you have to contend with while deciding on your channel plans; this month we take a look at what the Government demand of you to provide you permission to launch your channel

Having taken the decisions outlined in the previous sections of this series of articles, you are now ready to sit down and fill in the forms of the actual application to the Information & Broadcasting Ministry. This will permit you to get a license to uplink your channel from India.

Of course you could decide that you do not want to uplink from India.

This could be due to one of several reasons such as:

- You do not have funds in India but do have money in a foreign account which you would not want to bring into the country!
- You have foreign investors who would not like to invest in a media company in India!



अपने टेलीविजन चैनल की शुरुआत करें

भाग-5

किसी भी मीडिया के स्वामित्व का अपना प्रभाव होता है और इसके साथ विचारों की शक्ति जुड़ी होती है। लेकिन क्या यह ऐसा ही होता है या फिर यह नये बिजनेस को शुरू करने जैसा आसान होता है? सैटेलाइट व केबल टेलीविजन उद्योग के वरिष्ठ और अपने पास उद्योग का 25 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले सुदीप मल्होत्रा इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नये चैनल शुरू करने के विषय में एक नजर डाल रहे हैं! पिछली श्रृंखला में हमने अपनी चैनल योजना पर निर्णय करने के साथ आपके पास जो विकल्प हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा, इस महीने हम देखेंगे कि आपके द्वारा चैनल लॉन्च करने के लिए आपको अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार आपसे क्या मांग करेगी

लेखों की इस श्रृंखला के पिछले वर्ग में बताये गये बातों पर निर्णय लेने के बाद अब आप सूचना व प्रसारण मंत्रालय के वास्तविक आवेदन के प्रारूप को भरने के लिए विलकुल तैयार हैं। यह आपको भारत से अपने चैनल की अपलिक का लाइसेंस प्रदान करेगी।

निश्चित रूप से आप यह निर्णय कर सकते हैं कि आप भारत से अपलिक करना नहीं चाहते हैं। यह कई कारणों की वजह से हो

सकता है, जैसे

- आपके पास भारत में धन नहीं है, लेकिन विदेशी अकाउंट में पैसे हैं जिसे आप देश में लाना नहीं चाहते हैं!
- आपके पास विदेशी निवेशक हैं, वे भारत में मीडिया कंपनी में निवेश करना नहीं चाहते!

STARTING TV CHANNEL

- c) You or your investors do not want to subject the company to the tax laws in India!
- d) You or your investors do not want to follow the laws of India governing ownership of television channels or of the media sector!
- e) You wish to launch an adult channel which may be objected to by the Indian Government!!!

In that case of course you would still have to apply for a Downlink License from the same Ministry, and launch your channel from any other country of your choice.

Do note that a downlink license is necessary ONLY if you wish the cable networks and DTH platforms to carry your channel to subscriber homes. In case you don't seek carriage by these distribution platforms, but are happy to allow anyone to tune in and receive the channel, then the Indian license laws do not apply to you. Also of course you will not be able to get carriage in Hotels or public places; or be able to collect any subscription amounts from subscribers in India. You will also not be permitted to solicit for advertisements within the country unless the advertisers are paying you in foreign exchange; the collection and agency commissions of which will be subjected to the RBI rules on this issue, as well as to the tax laws of India.

So let's assume you wish to uplink from India. Let's now take a look at the steps in filling up the application forms for the I&B Ministry.

Keep in mind that the I&B Ministry is just the nodal ministry for the processing of these forms. The actual processing of the application, which is the most time consuming part is actually carried out by the Home Ministry. This is primarily for security clearance.

Copies of your application are sent to the Various Ministries and Agencies of the government obtaining the several clearances that are required for the clearance of the license.

- (सी) आप या आपके निवेशक भारत में कर कानून की विषय बनना नहीं चाहते हैं!
- (डी) आप या आपके निवेशक भारत के कानून का पालन नहीं करना चाहते, जो कि टेलीविजन चैनलों की या मीडिया क्षेत्र के स्वामित्व को नियंत्रित करना चाहता है!
- (ई) शायद आप वयस्क चैनल लॉन्च करना चाहते हैं जिसपर हो सकता है कि भारत सरकार को आपत्ति हो!!!

निश्चित रूप से उस स्थिति में भी आपको उसी मंत्रालय से डाउनलिंक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और अपनी पसंद के किसी अन्य देश से आप अपने चैनल को लॉन्च करें।



यह नोट करें कि डाउनलिंक लाइसेंस उसी हाल में सिर्फ जरूरी है यदि आप उपभोक्ता घरों में अपने चैनलों को केवल नेटवर्क व डीटीएच प्लेटफार्म की सहायता प्रसारित करना चाहते हैं। यदि आप इन वितरण प्लेटफार्मों द्वारा कैंरेज प्राप्त करना नहीं चाहते हैं और किसी को भी अपने चैनल को ट्यून व रिसीव करने देना चाहते हैं, तो

भारतीय कानून आप पर लागू नहीं होती है। निश्चित रूप से आपको होटल या जन स्थलों में कैंरेज नहीं किया जायेगा या फिर आप भारत में उपभोक्ताओं से किसी सव्सक्रिप्शन रकम को जमा नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही आप देश के भीतर विज्ञापनों के लिए अनुमति भी नहीं मांग सकेंगे जब तक कि विज्ञापनदाता आपको विदेशी मुद्रा में भुगतान न करें, इस मामले में जिसका संग्रहण व एजेंसी कमीशन आरबीआई नियमों के तहत होने के साथ-साथ भारत के कर कानून के तहत होता है।

इस तरह मान लें कि आप भारत से अपलिंक करना चाहते हैं। आईये अब आई एंड वी मंत्रालय के लिए आवेदन पत्र को भरने के लिए हर कदम पर ध्यान दें।

इस बात को ध्यान में रखें कि इन फॉर्मों की प्रोसेसिंग के लिए आई एंड वी एक नोडल मंत्रालय है, आवेदन की वास्तविक प्रोसेसिंग वस्तुतः गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है जिसमें सबसे अधिक समय लगता है। यह मुख्य रूप से सुरक्षा मंजूरी के लिए है।

कई सरकारी अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए आपके आवेदन की कॉपी को विभिन्न मंत्रालय व एजेंसियों को भेजा जायेगा जिसकी जरूरत लाइसेंस की अनुमति के लिए होती है।

STARTING TV CHANNEL

Some of these are:

- 1) The Finance Ministry - for Tax clearance, to ensure that the company applying for the licence is liquid, has no bad debts or disputes on payment of taxes etc., to check if they have been filing their Tax returns every year; as well as to ensure and verify that the nett worth of the company as mentioned in the application is as mentioned by them in their tax returns also. The Ministry will also verify the financial antecedents of each of the Directors on the Board of the company for the same reasons.
- 2) The Registrar of Companies or the Stock Exchange where the company is listed: to verify that the Company has been filing returns regularly for the past years and that the details mentioned in terms of its Board, activities etc are as per the records of the RoC.
- 3) The Home Ministry - to verify and check that none of the members of the Board of Directors of the Company, or any of its key employees listed in the Application have any criminal cases pending against them or have in the past been indicted in any criminal case; or even had cases filed against them with criminal or financial implications. The Ministry will also send a copy to the National Security Agency, who will check the details provided by you, including office addresses & ownership, home address & ownership, employment details etc. They may or may not directly contact you for this.



You are required to provide copies of the following documents / Agreements, along with your application:

1. Your Memorandum & Articles of Association. Remember that only a Registered Company can apply for a licence.
2. The Shareholding pattern of the company. In

इनमें से कुछ हैं:

- 1) कर भुगतान के लिए वित्त मंत्रालय, जो कि सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली कंपनी के पास धन है, जिस पर किसी तरह के कर आदि के भुगतान या विवाद या ऋण नहीं है, यह जांच करने के लिए कि प्रत्येक वर्ष टैक्स रिटर्न भरती है, साथ ही यह सुनिश्चित करने और सत्यापित करने के लिए कि आवेदन में उल्लेखित कंपनी का नेट वर्थ, उनके द्वारा टैक्स रिटर्न में उल्लेखित के समान है। समान कारणों के लिए कंपनी के बोर्ड के निदेशकों में प्रत्येक की वित्तीय पूर्ववृत्त की भी पुष्टि करेगा।
- 2) स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी सूचीबद्ध है या कंपनियों के रजिस्टार इस बात की जांच करेंगे कि पिछले वर्षों के लिए कंपनी नियमित रूप से अपनी रिटर्न भर रही है कि नहीं और उनके बोर्ड, क्रियाकलापों आदि के शर्तों में वर्णित विवरण आरओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक है कि नहीं।
- 3) गृह मंत्रालय इसकी जांच व सत्यापित करेगा कि कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य या आवेदन में सूचीबद्ध कोई प्रमुख कर्मचारी के खिलाफ किसी तरह के आपराधिक मामले तो लंबित नहीं हैं या पूर्व में किसी आपराधिक मामले में आरोपित तो नहीं है या फिर उसके खिलाफ आपराधिक या वित्तीय निहितार्थ के साथ कोई मामला दर्ज है। मंत्रालय इसकी एक कॉपी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को भी भेजेगा, जो कि आपके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जानकारी की जांच करेगा, जिसमें ऑफिस का पता व स्वामित्व, घर का पता व स्वामित्व, कर्मचारियों का विवरण आदि। वे इसके लिये आपसे सीधे संपर्क कर भी सकते हैं और नहीं भी।

आपको अपने आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज/समझौते की कॉपी प्रदान करने की जरूरत है

1. आपके मेमॉरैंडम व आर्टिकल ऑफ असोसिएशन। याद रखें कि लाइसेंस के लिए सिर्फ पंजीकृत कंपनियां ही आवेदन कर सकती हैं।
2. कंपनी का शेयर होल्डिंग का पैटर्न। यदि कंपनी में शेयरों की

STARTING TV CHANNEL

case a substantial number of shares in the company are held by another company/companies, then the shareholding pattern and major shareholders of these other companies is also required to be provided – and so on until the ultimate beneficiaries of the shares is identified.

3. Foreign Equity holdings in the company is any and the approvals from FIPB for the same.
4. Your agreement with the Satellite Operator allocating bandwidth for your channel along with a copy of the footprint of the Satellite.
5. Your agreement for playout / teleport services for uplinking of the channel. In some cases the teleport operator may also be the same as the company providing satellite capacity. Teleports in India are known to book transponders on Indian satellites and sub-hire or rent them on an annual fee basis to their clients for a profit. This does make the task of a new entrant to the industry that much easier, though one has to watch out for the fine print in some of the agreements.
6. Audited Balance Sheet and P&L for the immediately preceding year of the company and Assessment orders if any.
7. A Certificate from your Chartered Accountant confirming the Net Worth of the company. Do note that this also has to be provided in a format as provided in the Application, else is likely to be rejected.
8. Your Project Report to enable them to evaluate the financials of the Project.
9. An Affidavit / Undertaking on a Rs.20/- stamp paper, promising that in case you are

पर्याप्त संख्या किसी अन्य कंपनी/कंपनियों के पास है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न व इन अन्य कंपनियों के प्रमुख शेयर होल्डरों को भी प्रदान करने की तब तक जरूरत होती है, जब तक कि शेयर के अंतिम लाभार्थियों की पहचान न हो।

3. कंपनी में किसी तरह की विदेशी इक्विटी होल्डिंग और इसके लिए एफआईपीवी से इसकी अनुमति।
4. सैटेलाइट के फुटप्रिंट के साथ आपके चैनल के लिए आवंटित बैंडविड्थ के लिए सैटेलाइट ऑपरेटर के साथ समझौते की कॉपी।



5. चैनल की अपलिंकिंग के लिए प्लेआउट/टेलीपोर्ट सेवाओं के लिए आपका समझौता।

कुछ मामलों में टेलीपोर्ट ऑपरेटर ही सैटेलाइट क्षमता प्रदान करने वाली कंपनी भी हो सकती है।

भारत में टेलीपोर्ट को भारतीय सैटेलाइटों पर ट्रांसपोंडर बुक करने और लाभांश के लिए इसे अपने ग्राहकों को वार्षिक शुल्क के आधार पर सब हायर या किराये पर देते हैं। यह इस उद्योग में नये आने वालों का काम आसान कर देती है फिर भी अच्छा रहेगा कि आप कुछ समझौते के अंतिम रूप को देख लें।

6. कंपनी के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के लिए पी एंड एल और ऑडिटेड बैलेंस शीट और मूल्यांकन आदेश यदि कोई हो तो।
7. आपके नेटवर्थ की पुष्टि करने वाले आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणपत्र।
यह भी नोट करें कि इसे आवेदन में प्रदान किये गये फॉरमेट में ही प्रदान करना होगा, अन्यथा इसके अस्वीकृत होने की संभावना है।
8. प्रोजेक्ट के वित्त के मूल्यांकन में सक्षम करने वाला आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
9. 20 रुपये के स्टैंप पेपर पर वचन/हलफनामा, जो कि इस बात का वादा करती है कि यदि आपको लाइसेंस दिया जाता है तो

STARTING TV CHANNEL

granted the licence, you will agree to abide by the Programme and Advertising Codes as per the Cable Television Regulation Act of India.

10. If you are launching a News Channel, then an additional Affidavit is required confirming that you would abide by all the rules as applicable to News channels in India.
11. An Affidavit that if you are an Entertainment channel, you will not carry any news or current affairs based programmes.

Having done these affidavits and declarations, you are now ready to fill out the form and submit 5 copies of the same. Though we would advise that you submit 7 (seven) copies of the same.

In addition, take printouts and keep an additional 5 copies of the forms and attachments with you. In the course of the process after submission of the application, you may get a letter asking you to submit additional copies. In fact, each time that you would contact the department and ask for progress of your case, the department in the past has been notorious in asking you for additional details on any of the items mentioned in the application; or worse, asking for additional sets of the application made.

The forms themselves are fairly simple and straightforward to fill out. The only drawback is that these are provided as pdf files on their website, which need to be printed out and hand-filled. Unless of course you have the required software which enables you to fill in the forms directly into an existing pdf file.

Alternately you could re-create the forms in word format for easy filling.

Then, submit the set of forms and attachments And sit back and wait for the I&B and the other Ministries involved, to take their time and judge whether you are eligible to receive a licence. This could take anywhere from 6 months to two years depending on the political situation and the policies of the current government.... And how much influence you can wield in the corridors of New Delhi.

In the next article we shall look at what to do after you have received the Licence.... ■

आप भारत के केवल व टेलीविजन रेग्यूलेशन एक्ट के तहत कार्यक्रम व विज्ञापन कोड का पालन करने पर सहमत होंगे।

10. यदि आप न्यूज चैनल लॉन्च कर रहे हैं तो आप भारत में न्यूज चैनलों के लिए लागू सभी नियमों का पालन करेंगे।
11. यदि आप मनोरंजन चैनल हैं तो एक हलफनामा, कि आप न्यूज या करेंट अफेयर्स पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं करेंगे।

इन घोषणाओं व हलफनामा को करने के बाद अब आप फॉर्म भरने को तैयार हैं और इसकी 5 कॉपियों को जमा करने की जरूरत है। हालांकि हम आपको सुझाव देंगे कि आप इसकी 7 (सात) कॉपियों को जमा करें।

इसके अलावा आप अपने लिए फॉर्म व एटैचमेंट की अतिरिक्त पांच कॉपियों का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। आवेदन की प्रस्तुति के बाद की प्रक्रिया के लिए हो सकता है कि आपको पत्र भेजकर अतिरिक्त कॉपी को प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। वस्तुतः जितनी बार आप इस मामले की प्रगति पर मंत्रालय से संपर्क करेंगे, अतीत में मंत्रालय आवेदन में उल्लेखित किसी भी विषय पर अतिरिक्त जानकारी पूछने के लिए कुख्यात रहा है या फिर आपको आवेदन के अतिरिक्त सेट के लिए पूछा जायेगा।

फॉर्म अपने आप में वेहद सरल और भरने के लिए विल्कुल सीधा है। इसकी एकमात्र खामी है कि यह वेबसाइट पर पीडीएफ फाइल के रूप में प्रदान की गयी है जिसका प्रिंटआउट लेने और हाथ से भरने की जरूरत है। यदि आप मौजूदा पीडीएफ फाइल में सीधे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो कि आपको इसे भरने में सक्षम बनायेगी।

एक विकल्प है कि आप आसानी से भरने के लिए वर्ड फॉरमेट में इसे फिर से बना सकते हैं।

फिर, फॉर्म के सेट व एटैचमेंट को जमा करें और आई एंड वी व अन्य मंत्रालय के शामिल होने का इंतजार करें, जो कि इस बात का निर्णय लेने में समय लेगा कि आप लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार हैं कि नहीं। इस काम में आपको मौजूदा सरकार की नीतियां और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करते हुए 6 महीने से लेकर दो साल का वक्त लग सकता हैऔर नयी दिल्ली में सत्ता के गलियारों को आप किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं।

अगले लेख में हम देखेंगे कि लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना चाहिए... ■